नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या – 11/2020

हरीसिंह पुत्र श्री परमा जाति जाटव निवासी ग्राम भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय,तहसील भरतपुर

.....अप्रार्थी

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति :– 1. श्री उदयवीर कसाना अभिभाषक (प्रार्थी)
2. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर (अप्रार्थी)

**निर्णय** दिनांक : 11.01.2021

1. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2020 को अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 का विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने जरिये विक्रय–पत्र दिनांक 28.06.1984 को सौनी पुत्र परमा जाति जाटव निवासी ग्राम भरंगपुर तहसील व जिला भरतपुर से गत आराजी खसरा नम्बरान 509 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 508 रकबा 1 बीघा, 457 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 446 रकबा 17 विस्वा कुल किता–4 रकबा 4 बीघा 2 विस्वा क्रय किये गये थे। उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण मुताबिक विक्रयपत्र दिनांक 11.04.1985 को खोला गया था।प्रार्थी का नाम नामान्तकरण सख्या 4 के कॉलम संख्या–9 में हरीसिंह पुत्र परमा जाति जाटव अंकित किया गया है जो कि सही है।

2. हाल नयी जमाबन्दी में खाता सख्या 175 जिसमें खसरा नम्बरान 507 रकबा 0.17, 554 रकबा 0.18, 555 रकबा 0.22 हैक्टे. है। प्रार्थी का नाम हरीसिंह पुत्र परमा सही अकिंत है, लेकिन हाल जमाबन्दी के खाता सख्या 133 जिसका खसरा नम्बर 498 रकबा 0.61 हैक्टे. है उसमें प्रार्थी का नाम हरीसिंह के स्थान पर हीरासिंह कर दिया है जो कि गलत है। उक्त हाल जमाबन्दी में प्रार्थी सिर्फ हीरासिंह के स्थान पर हरीसिंह करवाना चाहता है।

3. अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 498 रकवा 61 ऐयर हिस्सा 14/61 वाकै ग्राम भरंगरपुर तहसील व जिला भरतपुर में प्रार्थी के नाम को हीरा सिंह पुत्र परमा के स्थान पर हरी सिंह पुत्र परमा किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया है कि प्रार्थी का कथन सत्य है कि मुताबिक नामा0 सख्या 4 दिनांक 11.4.1985 के अनुसार खाता सं. 133 आ.ख.न. 498 रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम भरगपुर होना चाहिये। उक्त प्रकरण में सेग्रीग्रेशन के दौरान जमाबन्दी तहरीर करते समय लिपिकीय भूल हुई है।

5. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में विक्रयपत्र दिनांक 28.06.1984 की फोटोप्रति, नामान्तरकरण सं. 4 दिनांक 11.04.85, नकल मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी सं. 2071–74, फोटोप्रति आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचानपत्र, राशनकार्ड की प्रति पेश की।

6. प्रार्थी के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के कथनो को दोहराते हुये हाल. आ.ख.न. 498/0.61 है0 हिस्सा 14/61 ग्राम भरंगरपुर तहसील भरतपुर में प्रार्थी का नाम हीरासिंह पुत्र श्री परमा के स्थान पर हरीसिंह पुत्र श्री परमा किये जाने हेतु निवेदन किया गया है पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.6.1984 को जरिये वयनाया से आराजी खरीद की है। प्रार्थी का नाम नामान्तरकरण सं. 4 दिनांक 11.4.85 से हरीसिंह पुत्र परमा दर्ज किया गया है। मुताबिक जमावदी सं. 2071–74 ग्राम भरगरपुर के खाता सं.133 पर प्रार्थी का नाम हीरासिंह पुत्र परमा दर्ज किया गया है जबकि खाता सं.175 पर हरीसिंह पुत्र परमा दर्ज किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड ,भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, एंव राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम हरीसिंह पुत्र परमा दर्ज है। अप्रार्थी ने भी जबाव में यह स्वीकार किया है कि खाता सं. 133 के आ.ख.न. 498/0.61 है0 ग्राम भरगरपुर में हरीसिंह पुत्र परमा जाति जाटव नि0 भरगरपुर होना चाहिये था। उक्त प्रकरण में सैग्रीग्रेशन के दौरान जमावन्दी तहरीर करते समय लिपिकीय भूल दर्ज है।अतः उक्त सभी साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि प्रार्थी का नाम हीरासिंह के स्थान पर हरीसिंह किया जाना उचित होगा।प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

**अतः आज्ञा है कि :–**

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 498 रकवा 61 ऐयर हिस्सा 14/61 ग्राम भरंगपुर तहसील व जिला भरतपुर में प्रार्थी का नाम हीरा सिंह पुत्र परमा के स्थान पर हरी सिंह पुत्र परमा दर्ज किया जावे। तहसीलदार भरतपुर को पालना हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह, आर.ए.एस.)
*उपखण्ड अधिकारी*
भरतपुर